



कार्यालय महालेखाकार (हकदारी एवं लेखा) -
द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(A&E)-II, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ



कार्यालय आदेश

भारत सरकार के पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत कवर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (UPS) शुरू करने का निर्णय लिया है जो की 01 अप्रैल 2025 से लागू होगी।

PFRDA Regulation, 2025 द्वारा प्रकाशित राजपत्र दिनांक 19-03-2025 में एकीकृत पेंशन योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से तीन महीने के भीतर (30 जून तक) अपना विकल्प फॉर्म-A2 ऑनलाइन अथवा भौतिक रूप से भर कर समयवधि में PC अनुभाग को उपलब्ध कराये। एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा।

The Government of India's Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operation of Unified Pension Scheme under the National Pension System) Regulations, 2025 has decided to introduce the Unified Pension Scheme for central government employees covered under the National Pension System (NPS) as an option, which will be effective from 1st April 2025.


As per the Pension Fund Regulatory and Development Authority, Employees who wants to avail the benefits of the Unified Pension Scheme, as published in the Gazette dated 24-01-2025 & 19-03-2025 by PFRDA Regulation, 2025 may go through the said notification & Regulation, and must submit their option Form-A2 online or physically to the PC section within three months from 1st April 2025 (i.e. upto 30th June) .The option to receive benefits under the Integrated Pension Scheme will be final and irrevocable.

संलग्नक:-यथोपरि।

वरिष्ठ उप-महालेखाकार/प्रशासन

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक्र) -II, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. समस्त वर्गाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक्र) -II, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. समस्त शाखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक्र) -II, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क० प्र० को इस आशय से प्रेषित कि इस कार्यालय आदेश को कार्यालय के इंटरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. सूचना पट्ट।


वरिष्ठ लेखाधिकारी/पी०सी०